संख्या– 1219 /47–का–3–2012–9/102/2011

प्रेषक,

एच.एल. गुप्ता
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्टर–डी, अलीगंज
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 06 नवम्बर, 2012

विषय : सेन्टर फार गुड गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2012–13 के अवशेष द्वितीय छःमाही के लिए व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–442/47–का–3–2012–9/102/2011, दिनांक 17.04.2012 तथा शासनदेश संख्या–1219/47–का–3–2012–9/102/2011, दिनांक 22.08.2012 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2012–13 के द्वितीय छः माह (माह अक्टूबर, 2012 से मार्च, 2013 तक) के लिए उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2012 (अधिनियम संख्या–05 सन् 2012) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ को सेन्टर फार गुड गवर्नेंस (सुशासन केन्द्र) उत्तर प्रदेश के व्यय हेतु सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) तथा वेतन आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अन्तर्गत स्वीकृत रू0–6,00,000/–(रूपये छः लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष द्वितीय छः माह के लिए रू0–3,00,000/–(रूपये तीन लाख मात्र) की धनराशि जिसका मदवार विवरण निम्नवत है, के व्यय हेतु अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

धनराशि (रूपये हजार में)

उप शीर्ष/ मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए प्राविधानित आय–व्ययक/ अनुदान धनराशि	04 माह (अप्रैल, 2012 से जुलाई, 2012 तक) के व्यय हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि	दो माह (अगस्त, 2012 से सितम्बर, 2012 तक) के व्यय हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि	अवशेष छः माह (अक्टूबर, 2012 से माह मार्च, 2012 तक) के व्यय हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनरशि
31–सहायता अनुदान – सामान्य (वेतन)	600	200	100	300
योग	600	200	100	300
	(रूपये तीन लाख मात्र)			

2– उक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार शासन की पूर्व सहमति/ अनुमोदन से किया जायेगा।

2/–

3– उक्त धनराशि का आहरण राजकोष से एक मुश्त नही की जायेगी, बल्कि आवश्कतानुसार राजकोष से आहरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा उक्त बिल को अनु सचिव, नियुक्ति विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर धनराशि का आहरण महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा किया जायेगा।

4– अनुदान संख्या–19 के लेखा शीर्षक "2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–04–सेंटर फार गुड गवर्नेंस के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अवशेष द्वितीय छः माही (माह अक्टूबर, 2012 से मार्च, 2013 तक) उप शीर्ष "31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0–6,00,000/–(रूपये छः लाख मात्र) की धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0–3,00,000/–(रूपये तीन लाख मात्र) उक्त मद के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(एच.एल. गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या– 1219 (1)/47–का–3–2012, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा)–प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– अनु सचिव, नियुक्ति अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन।
6– लेखा कोष्ठक, नियुक्ति अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन।
8– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/ 2, उत्तर प्रदेश शासन।